न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 302/2007/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पुत्र जोधाराम निवासी पलसाना
2. जिनकू बेवा सुरजा सागर पुत्र सुरजा निवासी पलसाना
3. गुलाबचन्द पुत्र पदमाराम मु0 लाडूड़ी बेवा पदमाराम जाट निवासी पलसाना
4. भागीरथ सुवालाल प्रभूदयाल राजेन्द्र कुमार पि. श्यामलाल जाट निवासी पलसाना
5. श्यामाराम घीसाराम छोटूराम पि. जोधाराम जाति जाट निवासी पलसाना
6. गणपतलाल पि. नारायण जाट निवासी पलसाना
7. सन्तोष पत्नी रामदेव, देवीलाल बलराम पि. रामदेव जाट निवासी पलसाना
8. अमरीदेवी पत्नी गणपतलाल निवासी पलसाना

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री प्रभातीलाल

निर्णय दिनांकः—31.10.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पलसाना के पुराने ख0नं0 797 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी खसरा गिरदावरी सं 2009—12 में माफी मंदिर रघुनाथ जी के नाम से दर्ज थी तथा कृषक जोधा पुत्र भेरू के नाम दर्ज थी। आगामी जमाबंदी मे कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा खाता पदमाराम, सुखाराम, श्यामाराम, रूघनाथ नारायण घीसाराम छोटूराम पिता जोधाराम जाति जाट के नाम अंकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 110 के द्वारा खाता रूघनाथ के बजाय रूड़मल पुत्र रूघनाथ के नाम दर्ज किया गया। बंदोबस्त के दौरान गत खसरा नम्बर 797 के नये खसरा नम्बर 3513, 3514 दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 118 के द्वारा सुरजा के बजाय खाता जिनकू बेवा सुरजा सागर पुत्र सुरजा सिणगारी कमला पुत्रियां सुरजा हिस्सा 1/21 दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 329 से खाता जोधा पुत्र भेरू के बजाय पदमाराम सुखाराम, श्यामा, रूघनाथ नारायण घीसा छोटू पिता जोधा जाट के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 1466 से खाता सुखा के बजाय सांवरमल बनवारी जगदीश पि. सुखा छोटली बेवा सुखा के नाम दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1559 के द्वारा पदमा के बजाय सुरजाराम गुलाबचन्द पि. पदमा लाडली बेवा पदमा दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 1930 के द्वारा नारायण पुत्र जोधा हिस्सा 1/7 राहिन सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक सीकर के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 687 के द्वारा रूड़मल का हिस्सा 1/7 भागीरथ सुवालाल प्रभूदयाल राजेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल जाट के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 1251 के द्वारा सांवरमल बनवारी जगदीश पिता सुखा छोटली बेवा सुखा के बजाय अमरी देवी पत्नी गणपत लाल सन्तोष देवी पत्नी रामदेव के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 1270 के द्वारा खाता गणपतलाल पतासी सोहनी नन्छी पि. नारायण सन्तोष पत्नी

Web Copy - Not Official

जारी पि. रामदेव के नाम दर्ज किया गया। उपरोक्तानुसार नामान्तरकरण संख्या 687, 110, 118, 1251, 1270, 329, 1460, 1930, 1551 अवैध दर्ज किये गये है जो निरस्त होने योग्य है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री प्रभातीलाल उपस्थित आये। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी भूमि धारक एवं उप कृषक दोनों ही रूप में माफी मन्दिर रघुनाथजी वाके देह के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2017–2020 के मुताबिक उक्त आराजियात भूमि धारक के कॉलम में मन्दिर श्री रूघनाथजी माफी देह पुजारी रामेश्वर पुत्र बलदेव कौम ब्राहमण सा.देह एवं कृषक के कॉलम में जोधा पुत्र भैरू जाट सा.देह उप कृषक पदमा पुत्र धन्ना सुआ पुत्र जोधा नारायण पुत्र जोधा घीसा पुत्र जोधा जाति जाट ब.हि.ब. के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। सम्वत् 2021–2024 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी पदमाराम सुखाराम श्यामाराम रूघनाथ नारायण घीसाराम छोटूराम पि. जोधाराम कौम जाट के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। नामान्तकरण संख्या 110 खातेदार रघुनाथ फौत हो जाने पर उनके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 797 के नये खसरा नम्बर 3513 व 3514 अंकित कर दिये गये। नामान्तकरण संख्या 118 खातेदार सुरजा के फौत होने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र के खाता जीनकू बेवा सुरजा सागर पुत्र सुरजा सिणगारी कमला पुत्रिया सुरजा के नाम तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण संख्या 329 से खाता जोधा पुत्र भेरू के बजाय पदमाराम सुखाराम, श्यामा, रूघनाथ नारायण घीसा छोटू पिता जोधा जाट के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 1466 से खाता सुखा के बजाय सांवरमल बनवारी जगदीश पि. सुखा छोटली बेवा सुखा के नाम दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1559 के द्वारा खाता पदमा के बजाय सुरजाराम गुलाबचन्द पि. पदमा लाडली बेवा पदमा दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 1930 मुताबिक रहननामा के नारायण पुत्र जोधा हिस्सा 1/7 राहिन सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक सीकर के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 687 मुताबिक विक्रय पत्र के रूड़मल का हिस्सा 1/7 भागीरथ सुवालाल प्रभूदयाल राजेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल जाट के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 1251 मुताबिक रजिस्टर्ड बेनामा के सांवरमल बनवारी जगदीश पिता सुखा छोटली बेवा सुखा के बजाय अमरी देवी पत्नी गणपत लाल सन्तोष देवी पत्नी रामदेव के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 1270 के द्वारा खाता गणपतलाल पतासी सोहनी नन्छी पि. नारायण सन्तोष पत्नी रामदेव देवीलाल बलराम अनिता पि. रामदेव के नाम दर्ज किया गया। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर रघुनाथ जी वाके देह के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2017–2020 के मुताबिक उक्त आराजियात भूमि धारक के कॉलम में मन्दिर श्री रूघनाथजी माफी देह पुजारी रामेश्वर पुत्र बलदेव कौम ब्राहमण सा.देह एवं कृषक के कॉलम में जोधा पुत्र भैरू जाट सा.देह उप कृषक पदमा पुत्र धन्ना सुआ पुत्र जोधा नारायण पुत्र जोधा घीसा पुत्र जोधा जाति जाट ब.हि.ब. के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी पदमाराम सुखाराम श्यामाराम रूघनाथ नारायण घीसाराम छोटूराम पि. जोधाराम कौम जाट के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित कर दी गई। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2017–2020 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2024 में उक्त मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भमियों पर किसी

अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 797 जिसके नये खसरा नम्बर 3513, 3514 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 687, 110, 118, 1251, 1270, 329, 1460, 1930, 1551 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/19

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official